

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 515 सन 2021

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रपती पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. गुडीदेवी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. सुनीता नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. तमन्ना नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. चेतना नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री लीलूराम नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. शारदा देवी पुत्री रोशनी नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 19.0010हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है दीपाराम वल्द बस्तीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी , पुत्र, पुत्रीया एवं मृतक पुत्र पुत्रीया के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो दीपाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की दादी है प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बुआ , प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 रोशीन के मृतक पुत्र दयाराम के वारिसान एवं वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 8 मृतक रोशनी की पुत्री एवं वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दीपाराम वल्द बस्तीराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है दीपराम वल्द बस्तीराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/बहन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 19.0010 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है दीपराम वल्द बस्तीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी , पुत्र, पुत्रीया एवं मृतक पुत्र पुत्रीया के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की दादी है प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बुआ , प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 रोशीन के मृतक पुत्र दयाराम के वारिसान एवं वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 8 मृतक रोशनी की पुत्री एवं वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


उपस्रण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 19.0010 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है दीपराम वल्द बस्तीराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया जो चुका है तथा वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में दीपराम वल्द बस्तीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 19.0010 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.506 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 7 एवं शेष भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रपती पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. गुडीदेवी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. सुनीता नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. तमन्ना नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. चेतना नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री लीलूराम नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. शारदा देवी पुत्री रेशनी नाबालिग पुत्रिया दयाराम जरिये संरक्षिका माता शोभा पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 515 सन 2021 निर्णय दिनांक- 20/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 19.0010 हैक् में से 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दीपाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.506 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 7 एवं शेष भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)